

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/ 319

दिनांक - 03-02-20

प्रार्थी
1 हेबसिंह पुत्र राजसिंह
जाति राजपूत निवासी
कुड़ला तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम


अप्रार्थीगण

1 भैराराम पुत्र सुरताराम 2 सताराम पुत्र धुड़ाराम निवारी
शिवकर 3 देवाराम पुत्र सताराम 4 तुलछाराम पुत्र वीरमाराम
जाति जाट 5 हुकमसिंह पुत्र मानसिंह 6 बहादूरसिंह पुत्र
राजसिंह 7 गुलाबसिंह पुत्र भगसिंह जाति राजपूत 8 दिनेश
कुमार पुत्र गोरधनसिंह जाति जाट 9 हुकमसिंह पुत्र
मानसिंह जाति राजपूत 10 चान्दणाराम पुत्र विरधाराम जाति
लुहार 11 वीराराम पुत्र पूनमाराम जाति भील 12 भूराराम
पुत्र भंवराराम जाति माली निवासी कुड़ला तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 160/2019 दिनांक- 31/01/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कुड़ला पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 758/458 रकबा 38.15 बीघा, खसरा संख्या 755/419 रकबा 50.02 बीघा व
खसरा संख्या 563/489 रकबा 35.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते
हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच
सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 03-02-20

क्रमांक :- रीडर/2020/ 320-23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कुड़ला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हेबसिंह पुत्र राजसिंह जाति राजपूत निवासी कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी भैराराम पुत्र सुरताराम वगैराह जाति जाट निवासी कुड़ला तहसील व जिला
बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

